न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 31/2018 एवं 45/2018 जिला दौसा

देवी लाल पुत्र छाजू, आयु 75 वर्ष, निवासी ग्रम बिहारीपुरा, तहसील व जिला दौसा , हाल निवासी ग्रम थौलाई, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. पांची देवी पुत्री छाज्या विधवा कन्हैया लाल, आयु 70 वर्ष, निवासी ग्रम सिण्डोली, तहसील व जिला दौसा ।
2. ग्रम पंचायत चांदराना, तहसील दौसा जरिये सरपंच
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 1.11.2017 बाबत नामांतरकरण संख्या 73 दिनांक 12.9.1971 एवं आज्ञा तहसीलदार दौसा दिनांक 7.6.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री कान्ता प्रसाद शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री विनोद कुमार विजय

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक – 15.01.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 एवं 75 के अन्तर्गत क्रमशः उप खण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 1.11.2017 बाबत नामांतरकरण संख्या 73 दिनांक 12.9.1971 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना के साथ दिनांक 14.5.2018 को एवं निर्णय तहसीलदार दौसा दिनांक 7.6.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । दोनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम बिहारीपुरा, तहसील व जिला दौसा स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 42/101 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा , खसरा नम्बर 116 रकबा 4 बीघा, 186 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा , 294 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा , कुल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा का खातेदार छाज्या पुत्र रतना था । उक्त आराजियात के हाल खसरा नम्बर 69, 199, 218, 219, 220, 405, 406, 407, 622, 626, 627, रकबा 2.60 हैक्टेयर बने हैं । विवादित भूमि के खातेदार छाज्या पुत्र रतना के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 73 दिनांक 12.9.1971 को ग्रम पंचायत चांदराना द्वारा अपीलान्ट देवी लाल पुत्र छाजू लाल के नाम तस्दीक कर दिया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर मृतक खातेदार छाज्या की पुत्री मु. पांची द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष दिनांक 10.12.2003 को मियाद बाहर प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1.11.2017 द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र की इजाजत देते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 73 दिनांक 12.9.71 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार दौसा को आराजी खसरा नम्बर 42/101 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा , खसरा नम्बर 116 रकबा 4 बीघा, 186 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा , 294 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा , कुल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा व हाल खसरा नम्बर 69, 199, 218, 219, 220, 405, 406, 407, 622, 626, 627, रकबा 2.60 हैक्टेयर वाके ग्रम बिहारीपुरा ग्रम पंचायत चांदराना तहसील दौसा के नामांतरकरण संख्या 73 दिनांक 12.9.71 मृतक छाज्या पुत्र रतना के वारिसान की विधिवत रूप से जॉच कर नामांतरकरण पारित करने की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया है , जिसके खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है जो अपील संख्या 31/2018 पर दर्ज की गई है ।

उप खण्ड अधिकारी दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 1.11.2017 की अनुपालना मे तहसीलदार दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.6.2018 पारित कर नामांतरकरण संख्या 73 दिनांक 12.9.71 ग्रम बिहारीपुरा को सरपंच ग्रम पंचायत द्वारा छाजू लाल उर्फ छाज्या पुत्र रतना के विधिक वारिसान की बिना जॉच किये केवल देवीलाल के नाम तस्दीक किया है , जिसे त्रुटिपूर्ण मानते हुये मृतक की सम्पत्ति हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उसके वारिसान को हस्तान्तरण योग्य होने के कारण छाजूलाल उर्फ छाज्या पुत्र रतना के वारिसान देवीलाल पुत्र एवं पांची पुत्री के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने को पटवारी हल्का चांदराना को आदेशित किया गया था , के खिलाफ यह दूसरी अपील प्रस्तुत हुई है जो अपील संख्या 45/2018 पर दर्ज की गई है ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति थी

जो छाजू को बाबा रतना की खातेदारी से प्राप्त हुई थी और 1971 में अपीलान्ट के पिता के फौत होने पर अपीलान्ट ही एकमात्र वारिस था । रेस्पोंडेन्ट पांची को पैतृक सम्पत्ति होने के कारण उन्हें कोई अधिकार नहीं था । ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 73 उचित एवं विधिसम्यक था । उप खण्ड अधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपील दिनांक 9.4.2015 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज होने के बाद अपील को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के नोटिस अपीलान्ट को जारी कर उनकी तामील ग्रम बिहारीपुरा में नोटिस लेने से इन्कार दिखा कर चस्पानगी से 8.5.17 को करवा दी गई जबकि अपीलान्ट उक्त दिनांक को ग्रम बिहारीपुरा में था ही नहीं क्योंकि अपीलान्ट पिछले 5 वर्षों से अपनी एक मात्र पुत्री के पास ग्रम थौलाई मे रहने लग गया था क्योंकि ग्रम बिहारीपुरा में अपीलार्थी की सेवा सुश्रुषा करने वाला कोइ नही था । अपीलान्ट से रंजिश रखने वाले व्यक्ति ने चस्पानगी के नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिये ओर अपीलार्थी की तामिल मानकर रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया । उनका कहना था अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर अपील को बिना अपीलान्ट को नोटिस जारी किये स्वीकार कर रिमाण्ड करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि उप खण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 1.11.2017 के खिलाफ अपीलार्थी ने अपील दिनांक 14.5.2018 को अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत करदी थी इसके बाद भी तहसीलदार दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.6.2018 को पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट पांची ने उप जिला कलक्टर दौसा के न्यायालय में विवादित भूमि के संबंध में उद्घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 20.8.2008 को अदम सबूत के खारिज हो गया है । उनका कहना था कि हिन्दू उत्तधिकार अधिनियम 1956 में जो संशोधन 2005 में किये गये हैं उसका लाभ जीवित पिता की जीवित पुत्री को ही प्राप्त हो सकता है । प्रकरण में पक्षकारों के पिता की मृत्यु 1971 में होने से सहदायी के रूप में अपीलार्थी अकेला वारिस था । तहसीलदार ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसके वारिसान के हस्तान्तरण योग्य होने के कारण 1/2 हिस्से का दोनों बहन भाई देवी लाल व पांची के नाम आधे आधे हिस्से का नामांतरकरण तस्दीक करने का अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विवादित भूमि पर कब्जे काश्त की भी जॉच नहीं की । ऐसी स्थिति में तहसीलदार दौसा का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक नही है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 1.11.2017 एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार दौसा दिनांक 7.6.2018 निरस्त किये जावे । अपने कथनों के समर्थन में डब्ल्यू.एल.सी. 2006 (2) पेज 787, डब्ल्यू.एल.सी. 2016 (1) पेज 30, डब्ल्यू.एल.सी. 2017 (1) पेज 746 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार छाज्या पुत्र रतना था जिसके एक पुत्र देवी लाल व एक पुत्री पांची है । खातेदार छाज्या के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 73 दिनांक 12.9.1971 को ग्रम पंचायत चांदराना द्वारा रेस्पोंडेन्ट पांची पुत्री छाज्या को छोडते हुये केवल अपीलान्ट देवी लाल पुत्र छाजू लाल के नाम तस्दीक कर दिया । रेस्पोंडेन्ट पांची मृतक खातेदार की जायन्दा पुत्री होने से अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विधिक उत्तराधिकारी है । ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण से व्यथित होकर मृतक खातेदार छाज्या की पुत्री मु. पांची द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष दिनांक 10.12.2003 को प्रस्तुत की थी, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1.11.2017 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 73 दिनांक 12.9.71 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार दौसा को आराजी खसरा नम्बर 42/101 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा , खसरा नम्बर 116 रकबा 4 बीघा, 186 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा , 294 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा , कुल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा व हाल खसरा नम्बर 69, 199, 218, 219, 220, 405, 406, 407, 622, 626, 627, रकबा 2.60 हैक्टेयर वाके ग्रम बिहारीपुरा ग्रम पंचायत चांदराना तहसील दौसा के नामांतरकरण संख्या 73 दिनांक 12.9.71 मृतक छाज्या पुत्र रतना के वारिसान की विधिवत रूप से जॉच कर नामांतरकरण पारित करने की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया है । उप खण्ड अधिकारी दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 1.11.2017 की अनुपालना मे तहसीलदार दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.6.2018 पारित कर नामांतरकरण संख्या 73 दिनांक 12.9.71 ग्रम बिहारीपुरा को सरपंच ग्रम पंचायत द्वारा छाजू लाल उर्फ छाज्या पुत्र रतना के विधिक वारिसान की बिना जॉच किये केवल देवीलाल के नाम तस्दीक किये जाने को त्रुटिपूर्ण मानते हुये मृतक की सम्पत्ति हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उसके वारिसान को हस्तान्तरण योग्य होने के कारण छाजूलाल उर्फ छाज्या पुत्र रतना के वारिसान देवीलाल पुत्र एवं पांची पुत्री के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने को पटवारी हल्का चांदराना को आदेशित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है जिन्हें यथावत रखते हुये दोनों अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार छाज्या की विरासत के नामांतरकरण का है । ग्रम पंचायत ने प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 73 दिनांक 12.9.71 को अपीलान्ट देवी लाल पुत्र छाजू के नाम तस्दीक किया था जिसके खिलाफ मृतक खातेदार छाजू की पुत्री मु. पांची रेस्पोंडेन्ट की अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.11.2017 द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या

73 दिनांक 12.9.71 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार दौसा को आराजी खसरा नम्बर 42/101 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा , खसरा नम्बर 116 रकबा 4 बीघा, 186 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा , 294 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा , कुल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा व हाल खसरा नम्बर 69, 199, 218, 219, 220, 405, 406, 407, 622, 626, 627, रकबा 2.60 हैक्टेयर वाके ग्रम बिहारीपुरा ग्रम पंचायत चांदराना तहसील दौसा के नामांतरकरण संख्या 73 दिनांक 12.9.71 मृतक छाज्या पुत्र रतना के वारिसान की विधिवत रूप से जॉच कर नामांतरकरण पारित करने की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया है । उप खण्ड अधिकारी दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 1.11.2017 की अनुपालना मे तहसीलदार दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.6.2018 पारित कर नामांतरकरण संख्या 73 दिनांक 12.9.71 ग्रम बिहारीपुरा को सरपंच ग्रम पंचायत द्वारा छाजू लाल उर्फ छाज्या पुत्र रतना के विधिक वारिसान की बिना जॉच किये केवल देवीलाल के नाम तस्दीक किया है , जिसे त्रुटिपूर्ण मानते हुये मृतक की सम्पत्ति हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उसके वारिसान को हस्तान्तरण योग्य होने के कारण छाजूलाल उर्फ छाज्या पुत्र रतना के वारिसान देवीलाल पुत्र एवं पांची पुत्री के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने को पटवारी हल्का चांदराना को आदेशित किया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रकरण में मृतक खातेदार छाजू उर्फ छाज्या की विरासत का नामांतरकरण संख्या 73 दिनांक 12.9.1971 को ग्रम पंचायत चांदराना द्वारा मृतक खातेदार छाजू उर्फ छाज्या की पुत्री रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 पांची को छोडकर केवल पुत्र अपीलान्ट देवी लाल के नाम तस्दीक किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1.11.2017 से खारिज कर प्रकरण मृतक छाज्या पुत्र रतना के वारिसान की विधिवत जॉच कर नामांतरकरण पारित करने हेतु तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रेषित किया है तथा इस आदेश की अनुपालना में तहसीलदार दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.6.2018 पारित कर मृतक की सम्पत्ति हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उसके वारिसान को हस्तान्तरण योग्य होने के कारण छाजूलाल उर्फ छाज्या पुत्र रतना के वारिसान देवीलाल पुत्र एवं पांची पुत्री के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने को पटवारी हल्का चांदराना को आदेशित किया गया है , जिनमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं

समझते हैं तथा दोनों अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर